

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/सूक्ष्म के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करती ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

साल शिष्टी केवल आवासीय प्रोजेक्ट

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 362 दिनांक 02/11/2020

श्री मोहम्मद इम्तीयाज 516 श्री ग्याज मोहम्मद

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 26000/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9062/1892, 1893

दिनांक 02/11/2020 को जमा करा दी है ।

p.No = 83 की कार्यालय नगर
L.I. ज.म. स्कीम नंबर 01

पृष्ठ +1

आवासीय

9/11/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Amel Hussain
M.N. 9414133166
Amel Hussain A.C.N.